निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 वैशाख 1933 (श0)
(सं0 पटना 167) **पटना, सोमवार, 2 मई 2011**

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

2 मई 2011

सं० एल0जी0-1-02/2011/लेज-90—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 29 अप्रील 2011 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 4, 2011]

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011

राज्य की जनता को नियत समय–सीमा में अधिसूचित सेवाएँ परिदान कराने हेतु और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, यथा :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।– (1) यह अधिनियम, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ।– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ''अपीलीय प्राधिकार'' से अभिप्रेत है कोई प्राधिकार जिसे धारा–3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया जाय और इसमें स्थानीय स्व–शासन का कोई शामिल है;

(ख) ''नामनिर्दिष्ट लोक सेवक'' से अभिप्रेत है धारा–3 के अधीन सेवा उपलब्ध करने के लिए इस रूप में अधिसूचित कोई प्राधिकार और इसमें राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित स्थानीय स्व–शासन एवं संगठनों का कोई शामिल है;

(ग) ''पात्र व्यक्ति'' से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो अधिसूचित सेवा के लिए पात्र हो;

(घ) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित;

(ङ) ''पुनर्विलोकन प्राधिकार'' से अभिप्रेत है कोई प्राधिकार जिसे धारा–3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया जाय और इसमें स्थानीय स्व–शासन का कोई शामिल है;

(च) ''लोक सेवा का अधिकार'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन नियत समय–सीमा के अन्दर सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाएँ लेने का अधिकार जैसा कि धारा–4 में वर्णित है;

(छ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है धारा–3 के प्रावधानों के अधीन अधिसूचित कोई सेवा;

(ज) '' राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(झ) ''नियत समय–सीमा' से अभिप्रेत है धारा–3 के अधीन अधिसूचित नामनिर्दिष्ट लोक सेवक द्वारा सेवा उपलब्ध कराने या अपीलीय प्राधिकार और पुनर्विलोकन प्राधिकार द्वारा अपील का विनिश्चय करने हेतु अधिकतम समय।

3. सेवाओं, नामनिर्दिष्ट लोक सेवक, अपीलीय प्राधिकार, और पुनर्विलोकन प्राधिकार तथा नियत समय–सीमा की अधिसूचना।– राज्य सरकार, समय–समय पर, तत्काल सेवा के लिए प्रावधानों सहित, सेवाओं, नामनिर्दिष्ट लोक सेवकों, अपीलीय प्राधिकारों, पुनर्विलोकन प्राधिकारों, नियत समय–सीमाओं और राज्य का क्षेत्र जहाँ यह अधिनियम लागू होगा, को अधिसूचित कर सकेगी।

4. नियत समय–सीमा में सेवा प्राप्त करने का अधिकार।– नामनिर्दिष्ट लोक सेवक, धारा–3 के अधीन अधिसूचित सेवा नियत समय–सीमा में, सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा।

5. नियत समय–सीमा में सेवाएँ उपलब्ध कराना।– (1) अधिनियम के अधीन अधिसूचित सेवाओं के लिए समर्पित किये गये किसी आवेदन को अधिनियम के अधीन आवेदन माना जायेगा। नियत समय–सीमा, यदि धारा–3 के अधीन अधिसूचना में अन्यथा स्पष्ट नहीं किया हुआ हो तो, उस तिथि से प्रारम्भ होगी जब अधिसूचित सेवा के लिए अपेक्षित आवेदन नामनिर्दिष्ट लोक सेवक को या उसके अधीनस्थ आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को समर्पित किया जाय। ऐसे आवेदन की सम्यक रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर नामनिर्दिष्ट लोक सेवक नियत समय–सीमा में सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन अस्वीकृत करेगा और आवेदन की अस्वीकृति की दशा में, कारणों को लेखन द्वारा अभिलिखित करेगा और आवेदक को सूचित करेगा।

6. अपील।– (1) कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा–5 की उप–धारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया जाता है या जिसे नियत समय–सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती है, आवेदन की अस्वीकृति की तिथि के तीस दिनों के अन्दर या नियत समय–सीमा की समाप्ति पर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकार द्वारा, ऐसी अपील दाखिल किये जाने की सम्यक अभिस्वीकृति अपीलकर्त्ता को उसकी हस्ताक्षरित प्राप्ति उपलब्ध कराकर दी जायेगीः

परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकार तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि वह सन्तुष्ट हो कि अपीलकर्त्ता को समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था:

परन्तु यह और कि धारा–3 के अधीन अधिसूचना द्वारा नियत समय सीमा से अधिक विलम्ब की स्थिति में आवेदक इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विलम्ब के विरुद्ध अपील दाखिल कर सकेगा:

परन्तु यह और भी कि किसी सेवा के लिए किसी आवेदन जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि उपचार विहित करता है, की अस्वीकृति की दशा में, आवेदक तत्समय प्रवृत्त ऐसी विधि के अधीन प्रक्रिया अपनायेगा।

(2) (क) अपीलीय प्राधिकार नामनिर्दिष्ट लोक सेवक को विनिर्दिष्ट अवधि में सेवा उपलब्ध कराने के लिए आदेश दे सकेगा या अपील नामंजूर कर सकेगा।

(ख) सेवा उपलब्ध कराने के लिए आदेश के साथ, अपीलीय प्राधिकार इस अधिनियम की धारा–7 के प्रावधानों के अनुसार दंड अधिरोपित कर सकेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकार के किसी आदेश से व्यथित नामनिर्दिष्ट लोकसेवक या आवेदक, आदेश किये जाने की तिथि से साठ दिनों के अन्दर, पुनर्विलोकन प्राधिकार के समक्ष द्वितीय अपील कर सकेगा, जो अपील का निष्पादन विहित प्रक्रिया के अनुसार करेगा :

परन्तु यह कि पुनर्विलोकन प्राधिकार 60 (साठ) दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी द्वितीय अपील ग्रहण कर सकेगा यदि वह सन्तुष्ट हो कि अपीलकर्त्ता को समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

(4) यदि नामनिर्दिष्ट लोक सेवक धारा–6 की उप–धारा (2) के अधीन सेवा उपलब्ध कराने के लिए आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक पुनर्विलोकन प्राधिकार को सीधे आवेदन समर्पित कर सकेगा। इस आवेदन का निष्पादन द्वितीय अपील के लिए विहित रीति से किया जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन किसी अपील का विनिश्चय करते समय अपीलीय प्राधिकार तथा पुनर्विलोकन प्राधिकार को निम्नांकित मामलों में, वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के समय किसी सिविल कोर्ट को होता है, यथा–

(क) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने एवं निरीक्षण की अपेक्षा करने;

(ख) नामनिर्दिष्ट लोक सेवक एवं अपीलकर्त्ता को सुनवाई के लिए सम्मन जारी करने; तथा

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(6) किसी अपीलीय कार्यवाही में, किसी विलम्ब या सेवा देने से इनकार को न्यायोचित ठहराने का भार, यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट लोक सेवक या अपीलीय प्राधिकार, जिसने विलम्ब किया या सेवा देने से इनकार किया, पर होगा।

7. दंड।– (1) (क) जहाँ अपीलीय प्राधिकार की राय हो कि नामनिर्दिष्ट लोक सेवक बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के, सेवा उपलब्ध कराने में असफल रहा है, तो वह इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली में यथाविहित, समय–समय पर निर्धारित दर से, कोई एकमुश्त दंड अधिरोपित कर सकेगा।

(ख) जहाँ अपीलीय प्राधिकार की राय हो कि नामनिर्दिष्ट लोक सेवक ने सेवा उपलब्ध कराने में विलम्ब किया है, तो वह ऐसे विलम्ब के लिए नामनिर्दिष्ट लोक सेवक पर समय–समय विहित दर से और इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली में समय–समय पर यथाविहित कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु यह कि उसपर कोई दंड अधिरोपित किये जाने के पूर्व नामनिर्दिष्ट लोक सेवक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(2) जहाँ पुनर्विलोकन प्राधिकार की राय हो कि अपीलीय प्राधिकार, बिना किसी पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के, नियत समय–सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है, तो वह अपीलीय प्राधिकार पर समय–समय पर विहित दर से और इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली में यथाविहित कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु यह कि उस पर कोई दंड अधिरोपित किये जाने के पूर्व अपीलीय प्राधिकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(3) अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन अधिरोपित दंड, यथास्थिति नामनिर्दिष्ट लोकसेवक, अपीलीय प्राधिकार एवं संबंधित अधीनस्थ कर्मचारियों पर भारित होगा और यथास्थिति, अपीलीय या पुनर्विलोकन प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किये गये अनुपात में, तथा इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली में समय–समय पर यथाविहित, होगा।

(4) अधिरोपित ऐसा दंड पूर्व से अस्तित्व वाले किसी अन्य अधिनियम, नियमावली, विनियमावली एवं अधिसूचनाओं में विहित किये गये के अतिरिक्त होगा।

8. अननुपालन का अवचार की श्रेणी में आना।– अपीलीय प्राधिकार के आदेशों, जब तक कि वह द्वितीय अपील में लम्बित नहीं हो या पुनर्विलोकन प्राधिकार द्वारा उपांतरित नहीं किया गया हो, या पुनर्विलोकन प्राधिकार के आदेशों का अननुपालन अवचार की श्रेणी में आयेगा तथा संबंधित व्यक्ति को, अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अधिकथित नियमों सहित, आनुषंगिक प्रावधानों के अधीन कार्रवाई का भागी बनायेगा।

9. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।– इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के संबंध में कोई सिविल न्यायालय कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट किसी अपील के सिवाय अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

10. अपीलीय प्राधिकार को आवेदन सीधे भेजने की राज्य सरकार की शक्ति।– अधिनियम के अन्य प्रावधानों के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार, प्रावधानों का अननुपालन अभिकथित करता हुआ कोई आवेदन पाती है, तो वह उसे अधिनियम के अनुसार अग्रतर कार्रवाई के लिए अपीलीय प्राधिकार को सीधे भेज सकेगी।

11. सद्भाव में की गयी कार्रवाई का संरक्षण।– किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी चीज के लिए, जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भाव में किया गया हो या किया जाना आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य न्यायिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

12. अधिनियम का अभिभावी प्रभाव होना।– इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित सेवाओं एवं इसके कार्यान्वयन के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में, कोई चीज असंगत होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव होगा।

13. नियमावली बनाने की शक्ति।– (1) राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमावली बनायेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जायेगा।

14. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति।– यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

2 मई 2011

सं० एल०जी०–1–02/2011–लेज–91––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 अप्रील 2011 को अनुमत बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, अधिनियम 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 4, 2011]

BIHAR RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT, 2011

AN

ACT

To provide for the delivery of notified public services to the people of the State within the stipulated time limit and for matters connected therewith and incidental thereto.

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-second year of the Republic of India as follows.-

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This Act may be called the Bihar Right to Public Services Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. *Definitions.*- In this Act, unless the context otherwise requires:-

(*a*) "Appellate Authority" means an authority including one belonging to the local self government who is notified as such under Section-3;

(*b*) "Designated Public Servant" means an authority including one belonging to the local self government and organizations, fully or partially funded by the State Government, notified as such for providing the service under Section-3;

(*c*) "Eligible Person" means a person who is eligible for the notified service;

(*d*) "Prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(*e*) "Reviewing Authority" means an authority including one belonging to the local self government who is notified as such under Section-3;

(*f*) "Right to Public Service" means right to obtain the service notified by the government under this Act from time to time within the stipulated time limit as described under Section-4;

(*g*) "Service" means any service notified as per provisions under Section-3;

(*h*) "State Government" means the Government of Bihar;

(*i*) "Stipulated time limit" means maximum time to provide the service by the Designated Public Servant or to decide the appeal by the Appellate Authority and Reviewing Authority as notified under Section-3.

3. Notification of services, Designated Public Servant, Appellate Authority, and Reviewing Authority and Stipulated Time Limits.- The State Government may, from time to time, notify the services including provisions for fast track service delivery ("Tatkal Sewa"), Designated Public Servants, Appellate Authorities, Reviewing Authorities Stipulated Time Limits, and the area of the State to which this Act shall apply.

4. *Right to obtain service within stipulated time limit*.- The designated public servant shall provide the service notified, under Section-3 to the person eligible to obtain the service, within the stipulated time limit.

5. *Providing services in stipulated time limit*. - (1) Any application being filed for obtaining services notified under the Act will be treated as application under the Act. Stipulated Time Limit, if not explained otherwise in the notification under sec.-3 shall start from the date when required application for notified service is submitted to the Designated Public Servant or to a person subordinate to him/her authorized to receive the application. Such application shall be duly acknowledged.

(2) The Designated Public Servant on receipt of an application under sub-section (1) shall within the Stipulated Time Limit provide service or reject the application and in case of rejection of application, shall record the reasons in writing and intimate to the applicant.

6. *Appeal*. - (1) Any person, whose application is rejected under sub-section (2) of section-5 or who is not provided the service within the stipulated time limit, may file an appeal to the Appellate Authority within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limit. Filing of such appeal shall be duly acknowledged by the Appellate Authority by providing the Appellant signed receipt of the same:

Provided that the Appellate Authority may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he/she is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time:

Provided further that in case of delay beyond the time limit stipulated by notification under section-3 the applicant may file an appeal against delay as per the provisions under this Act:

Provided further also that, in case of rejection of an application for a service for which any other law for the time being in force prescribes remedy, the applicant shall

follow the process under such law for the time being in force.

(2) (*a*) The Appellate Authority may order the Designated Public Servant to provide the service within the specified period or may reject the appeal.

(*b*) Along with the order to provide service, the Appellate Authority may impose penalty according to the provisions of Section-7 of this Act.

(3) The Designated Public Servant or the Applicant aggrieved by any order of the Appellate Authority, may make a second appeal within 60 (sixty) days from the date of that order to the Reviewing Authority, who shall dispose the appeal according to the prescribed procedure:

Provided that the Reviewing Authority may entertain the second appeal after the expiry of 60 (sixty) days, if he/she is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(4) If the designated public servant does not comply with provisions of the order for providing the service under sub- section (2) of Section-6, then the applicant aggrieved from such non-compliance may submit an application directly to the Reviewing Authority. This application shall be disposed of in the manner prescribed for second appeal.

(5) The Appellate Authority and Reviewing Authority shall while deciding an appeal under this section, have the same powers as are vested in civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely :-

(*a*) requiring the production and inspection of documents;

(*b*) issuing summons for hearing to the designated public servant and appellant; and

(*c*) any other matter which may be prescribed.

(6) In any appeal proceedings, the onus to prove that a delay or denial of service was justified shall be on the Designated Public Servant or the Appellate Authority, as the case may be, who delayed or denied the service.

7. *Penalty*.- (l)(*a*) Where the Appellate Authority is of the opinion that the Designated Public Servant has failed to provide service without sufficient and reasonable cause, then he/she may impose a lump sum penalty at the rate specified from time to time as prescribed in the rules framed under this Act from time to time.

(b) Where the Appellate Authority is of the opinion that the Designated Public

Servant has caused delay in providing the service, then he/she may impose a penalty at the rate specified from time to time and as prescribed in the rules framed under this Act from time to time for such delay on the Designated Public Servant:

Provided that the Designated Public Servant shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him/her.

(2) Where the Reviewing Authority is of the opinion that the Appellate Authority has failed to decide the appeal within the stipulated time limit without any sufficient and reasonable cause, then he/she may impose a penalty on Appellate Authority at the rate specified from time to time and as prescribed in the rules framed under this Act:

Provided that the Appellate Authority shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him/her.

(3) The penalty as imposed under the above provisions of the Act shall be charged from the Designated Public Servant, Appellate Authority and concerned Sub-ordinate staff as the case may be, and in the proportion to be decided by the Appellate or Reviewing Authority, as the case may be, and as prescribed in the Rules framed under this Act from time to time.

(4) The penalty so imposed will be in addition to that prescribed in any other Act, rules, regulations and notifications already existing.

8. *Non-Compliance Amounting to Misconduct*.- Non-compliance of the orders of the Appellate Authority, unless pending in second appeal or modified by the Reviewing Authority, or of the orders of the Reviewing Authority shall amount to misconduct and makes the concerned person liable for actions under related provisions, including those that have been laid down for disciplinary action.

9. *Bar of Jurisdiction of Courts*.- No Civil Court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal as specified under this Act.

10. *Power of the State Government to send the applications to Appellate Authority directly*.- Notwithstanding the other provisions of the Act, the State Government, if it gets an application alleging non-compliance of the provisions, may send the same directly to the Appellate Authority for taking further actions as per the Act.

11. *Protection of action taken in good faith*.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

12. *Overriding effect of the Act*.- In relation to the services notified under this Act and its implementation, the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

13. *Powers to make rules*.- (1) The State Government shall, by notification in the official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act by the State Government shall be laid before the State Legislature.

14. *Power to remove difficulties*.- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty.

By order of the Governor of Bihar,

OM PRAKASH SINHA,

Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 167-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in